कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

कालोनी प्रकोष्ठ (शाहपुरा)

दिनांक 13/9/2013 अनुमति क्रमांक 716

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 और इसके अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुऐ:-

श्री/मेसर्स/ **मेसर्स सत्यप्रकाश कालोनाईजर्स प्रा.लि. द्वारा भूमि स्वामी 1) मेसर्स ए.जी. कन्स्ट्रक्शन द्वारा श्री एस.के. आहूजा एवं श्री एम.पी.एस. गुलियानी पुत्र स्व. श्री एन.एस. गुलयानी, 2) एन आई.सी. कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा.लि. भोपाल द्वारा श्री मो. बिलाल पुत्र श्री वली मोहम्मद, 3) मेसर्स सेम एसोसियेट्स द्वारा श्री अब्दुल अजीम खान पुत्र स्व. श्री अब्दुल अजीज खान एवं श्री अम्ब्ररीश तिवारी पुत्र श्री एच.एन. तिवारी, 4) श्री रामकुमार तिवारी पुत्र श्री बद्री प्रसाद तिवारी**

निवासी : **238-ए, शाश्वत टॉवर, द्वितीय तल, जोन-I एम.पी. नगर, भोपाल**

मोहल्ला : वार्ड : नगर : **भोपाल** तहसील : **हुजूर** जिला : **भोपाल** को

ग्राम- **बड़वई, स्थित भूमि खसरा क्रमांक** 243/244/1/1/ख/3, 243/244/1/1/क/2, 243/244/1/1/ख/2, 243/244/1/1/घ/2, 243/244/1/1/ग/2, 243/244/1/1/ड/2, 243/244/1/1/च/2, 243/244/1/2/2, 243/244/1/छ/2, 243/244 /1/1/क/3 रकबा 1.744 हेक्टेयर की बहु इकाई आवासीय विकास हेतु विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है, कि-

(1) नगर भूमि सीमा अधिनियम तथा नियंत्रण 1976 के उल्लेखित प्रावधानो अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित शर्तो का पालन करना होगा।

(2) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू-व्यवर्तन की शर्तो का पालन करना होगा।

(3) म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनुमोदित मानचित्र क्रमांक-**1012/एल.पी.0058/29(3)/नग्रानि/जिका**/2010-13 **भोपाल, दिनांक 29/05/2013** की समस्त शर्तो का पालन करना होगा। तथा शर्त क्र. 5 अनुसार भवन अनुज्ञा के पूर्व एयरपोर्ट अथारिटी से इस बावत् अनापत्ति नगर निगम में प्रस्तुत की जावे कि भवन की अधिकतम ऊँचाई ऐसी होगी जैसी कि विमान प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाए।

(4) नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्राप्त अनुमोदित मानचित्र अनुसार विकास कार्य करना होगा।

(5) बाह्य विकास जिसका विवरण कॉलोनाईजर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका विकास उनके द्वारा स्वयं किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश दिनांक 26/05/2010 अनुसार कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) प्रणाली स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा एवं सेप्टिक टेंक से इफल्यूएंट को उपयुक्त स्थान पर छोड़ना होगा एवं इसका समन्वय आवश्यकतानुसार आसपास की कॉलोनियों के साथ किया जाना आवश्यक होगा।

(7) विकासकर्ता संस्था को यह बाध्यता होगी कि वह अपनी भूमि/कालोनी से सटी कालोनी/भूमि से जल, मल निकास का समन्वय करते हुए ही विकास कार्य करें एवं अनउपचारित (Untreated) जल, मल की किसी भी दशा में सार्वजनिक अथवा अन्य किसी स्वामित्व की भूमि पर प्रवाहित नहीं किया जा सकेगा।

(8) रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रावधान अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) मध्यप्रदेश नगर पालिक (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के नियम 12 सहित अन्य समस्त संबंधित शर्तों एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19/04/2012 अनुसार शर्तों का पालन कॉलोनाईजर द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

Self Attested

प्रभारी
कालोनी प्रकोष्ठ

नगर निवेशक

अपर आयुक्त

(10) नगर निगम से नियमानुसार विधिवत भवन अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जावेगा। एवं भूखण्डो के माप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(11) भविष्य मे किसी भी प्रकार के भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विवाद, स्वीकृत अभिन्यास से हटकर विकास/उल्लंधन, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर या किसी भी शासकीय विभाग से कोई आपत्ति प्राप्त होने पर तथा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(12) **मेसर्स सत्यप्रकाश कालोनाईजर्स प्रा.लि.**, द्वारा कालोनी का विकास कार्य **"नाईस स्पेस"** के नाम से किया जावेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन बगैर पूर्व अनुमति के न किया जावे।

(13) कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के भूखण्डो/भवनो का विकास/निर्माण सर्वप्रथम करना होगा एवं इनका आवंटन सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरांत ही मान्य किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र में दर्शित कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के प्रकोष्ठो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा। म.प्र. राजपत्र दिनांक 19/04/2012 के प्रावधानो के अंतर्गत कुल 65 आवासीय इकाईयों के अनुसार कमजोर आय वर्ग की 39 आवासीय इकाईयां व निम्न आय वर्ग की 26 आवासीय इकाईयों का निर्माण आवश्यक होगा।

(14) आपको जारी इस विकास अनुमति के साथ अनुमानित विकास कार्यों की लागत पर 01 प्रतिशत राशि कर्मकार कल्याण उपकर के रूप में प्राप्त कर कर्मकार कल्याण मण्डल, को प्रेषित की गई है। विकास कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् विकास कार्यों के वास्तविक मूल्य की अंतिम विवरणी सचिव, कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रस्तुत कर 01 प्रतिशत, उपकर राशि के अनुसार शेष राशि का भुगतान करना होगा अथवा अधिक जमा राशि हेतु रिफण्ड की कार्यवाही की जा सकेगी। भविष्य में अन्य किसी मद में यदि शेष राशि निकलती है, तो उसका भुगतान कॉलोनाईजर द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

(15) विकसित की जाने वाली कॉलोनी में म.प्र. राजपत्र दिनांक 19/04/2012 के प्रावधानों व अनुबंध की शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रभारी
कालोनी प्रकोष्ठ
नगर निगम, भोपाल

नगर निवेषक
नगर निगम,भोपाल

अपर आयुक्त
सक्षम प्राधिकारी एवं अपर आयुक्त
नगर निगम, भोपाल

पृष्ठांकन क्र. ..../का.प्रको./2013 भोपाल दिनांक ....

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषत।

sd/-
प्रभारी
कालोनी प्रकोष्ठ
नगर निगम, भोपाल

नगर निवेषक
नगर निगम,भोपाल

अपर आयुक्त
सक्षम प्राधिकारी एवं अपर आयुक्त
नगर निगम, भोपाल

Self Attested